

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 26/05/2022

क्रमांक एफ-43/12/2022/19/यो/1934
प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 88वीं बैठक में अनुमोदित सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खैरी से डोंगलापानी मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 10.05.2022 को संपन्न अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 88वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खैरी से डोंगलापानी मार्ग लंबाई 20.00 कि.मी. का निर्माण कार्य, जिसकी लागत राशि रु. 2827.03 लाख (रु. अठ्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख, तीन हजार मात्र) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु बजट में माँग संख्या 24-5054-0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। उक्त कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

5/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य की वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर0 के0 मेहरा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 26/05/2022

पृ0 क्रमांक एफ-43/12/2022/19/यो/1935
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग भोपाल के निज सचिव।

2. मुख्य अभियंता (राज. परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक-1 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

सचिव